

उत्तराखण्ड शासन  
आवास अनुभाग-2

संख्या- 256/V-2-2017-79(आ0)2016  
देहरादून : दिनांक 16 फरवरी, 2017

कार्यालय आदेश

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016 दिनांक 01 मई, 2016 से प्रभावी हो गया है। उक्त अधिनियम की धारा-20 में उल्लिखित व्यवस्थान्तर्गत Regulatory Authority के कार्यों के सम्पादन हेतु अग्रिम आदेशों तक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया जाता है। उक्त प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा नियमित Real Estate Regulatory Authority के गठन तक कार्य करती रहेगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)  
सचिव

संख्या-256/V-2-2017-79(आ0)2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 4- उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार।
- 5- सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- मुख्य नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह सक्ता)

उप सचिव

A.C.A

N.C.A.

617

23-2-17